सम्मान-निधि स्वीकृत किये जाने के लिये
आवेदन-पत्र

1.	नाम	: .....
2.	पिता का नाम	: .....
3.	पता/मोबाईल नम्बर	: .....
4.	जन्म दिनांक	: ..... दिनांक 01.01.20 की स्थिति में उम्र .....
5.	शैक्षणिक योग्यता (छायाप्रति संलग्न करें)	: .....
6.	समाचार-पत्र/संस्थान का नाम	: .....
7.	नियुक्ति दिनांक (सेवा अवधि)	: .....
8.	अनुभव	: .....
9.	वर्तमान में किसी संस्थान में कार्यरत हैं तो उसका नाम/पताः	: .....
ब	वेतन प्रमाण-पत्र	: .....
10.	राज्य शासन से कोई अन्य नियमित सहायता प्राप्त हो रही है। (अगर सहायता प्राप्त हो रही है तो उसका पूर्ण विवरण संलग्न करें)	: .....हाँ/नहीं.....
11.	आवेदक आयकर दाता की श्रेणी में आता है (प्रमाण-पत्र संलग्न करें)	: .....हाँ/नहीं.....
12.	आवेदक के ऊपर कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज है	: .....हाँ/नहीं.....
13.	अधिमान्यता कितने वर्षों से और किस-किस संस्थान से रही है दर्शाते हुए कार्डों की छायाप्रति संलग्न करें।	: .....

आवेदक के हस्ताक्षर

नोटः-

1. सम्मान-निधि की नियम एवं शर्तें संलग्न हैं।
2. कॉलम 10, 11 एवं 12 के संबंध में एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करें।
3. ई - पेमेन्ट का फार्म ।
4. बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की फोटोकापी ।
5. आधार कार्ड/पेन कार्ड ।
6. समाचार-पत्र की नवीन प्रति।

:: सम्मान-निधि के नियम एवं शर्तें ::

1. *सम्मान-निधि ऐसे पूर्ण कालिक अधिमान्य पत्रकार को प्रदान की जायेगी जो किसी दैनिक/साप्ताहिक समाचार-पत्र में कम से कम 20 वर्षों तक सवैतनिक कार्य करते रहे हों और उनकी आयु एक जनवरी, 2019 की स्थिति में 60 वर्ष हो। इन्हें प्रतिमाह सात हजार रुपये श्रद्धा-निधि के रूप में देने का निर्णय लिया गया है। श्रद्धा-निधि प्रारंभ में पाँच वर्ष के लिए दी जायेगी।*

2. *सम्मान-निधि केवल उन पत्रकारों को दी जायेगी, जिन्हें राज्य शासन से कोई अन्य नियमित सहायता प्राप्त नहीं हो रही हो।*

3. *अधिमान्य पत्रकार को यह शपथ-पत्र देना होगा कि वह आयकर-दाता की श्रेणी में नहीं आता है।*

4. *यह पात्रता उन अधिमान्य पत्रकारों को होगी जो जनसंपर्क संचालनालय मध्यप्रदेश से कम से कम 10 वर्ष अधिमान्य रहे हों।*

5. *एक पत्रकार को प्रतिमाह रुपये सात हजार तक सम्मान-निधि की पात्रता होगी।*

6. *अधिमान्य पत्रकार को बैंक में बचत खाता खुलवाना होगा, जिससे उनके बैंक खाते में राशि जमा की जा सके। इसके लिए पत्रकार को आवश्यक प्रमाण-पत्र वर्ष में एक बार प्रस्तुत करना होगा, जिससे उनके बैंक खातों में प्रतिमाह सम्मान-निधि जमा की जा सके।*

7. *अधिमान्य पत्रकार पर किसी प्रकार का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं होना चाहिये।*

8. *सम्मान-निधि की पात्रता स्वीकृति के बाद भी किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। यदि लाभार्थी का आचरण पत्रकारिता के मान्य सिद्धांतों, मानदण्डों के विपरीत पाया जाता है या उनके विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज होता है तो यह पात्रता समाप्त की जा सकेगी।*

9. *सम्मान-निधि स्वीकृति के 5 वर्ष पश्चात प्रकरणवार समीक्षा की जायेगी।*

.....